न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
69/2019	01.04.2019	15.12.2021

अनवान

मांगू पिता हिरा बंजारा उम्र वयस्क निवासी तरजेला तहसील भदेसर

.........वादी

।। बनाम ।।

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.........प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र खातेदारी घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम,1955</u>

उपस्थित – श्री प्रवीण जोशी वकील वादी

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0का0अधि0 का वाद ऑर्डर 7 नियम 1, 2 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी वाके मौजा ग्राम आकोला कलां पटवार हल्का आकोला कलां तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ़ राज0 की साबिक खाता सं. 346 में दर्ज साबिक आराजी नं. 266/49 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 266/86 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा स्थित थी उसके बाद वर्ष 2010–11 में नया सेटलमेन्ट हुआ। भूप्रबंध के दरम्यान वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज साबिक आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर कायम किये गये एवं शेष आाराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जबकि साबिक [illegible] सार सम्पूर्ण आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। वादी [illegible] सेटलमेंट से पूर्व संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिस [illegible] खातेदारान काबिज [illegible] उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में भूप्रबंध अधिकारियों द्वारा दोराने भू प्रबंध वादी की साबिक आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नये आरजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर कायम किये गये एवं शेष आाराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का कोई हक अधिकार नहीं था फिर भी भू प्रबंध अधिकारियो ने अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया जिससे वादी उक्त आराजीयात को पुनः अपनी खातेदारी में दर्ज करा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने का अधिकारी होने से वाद पत्र वादी इन्द्राज दुरूस्ती पेश किया है।

दोरान सेटलमेंट विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी मौके पर वादी 05 बीघा कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है फिर भी भू-प्रबंध अधिकारियों ने वादी वादी की साबिक आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नये आरजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर कायम किये गये एवं शेष आाराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है जिसकी आड में प्रतिवादीगण वादी को विवादित आराजीयात से बेदखल करना चाहते है व विवादित आराजीयात को अन्य को आवंटन करने पर आमादा हो रहे है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे ना हि जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करे ना किसी अन्य को उक्त भूमि आवंटित करे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का आदेश पारित किया जावे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि :-

(1) पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जावे की वाद पत्र की कलम सं. 01 में वर्णित वादी की साबिक आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के नये आरजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर कायम किये गये एवं शेष आाराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कर दी है जिसे पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति पारित फरमाई जावे एंव इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

(2) प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी को अपने हक हिस्से से बेदखल नहीं करे ना हि किसी अन्य को कब्जा एवं विवादित आराजीयात किसी अन्य को आवंटित नहीं करे एवं ना किसी प्रकार की दखलंदाजी करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार भदेसर को 1000 रूपये फिस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर कमीश्नरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। तहसीलदार भदेसर द्वारा क्रमांक/राजस्व/2021/955 दिनांक 14.12.2021 से कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार भू प्रबंध से पूर्व जमाबंदी 2067 से 70 में खाता 346 पर अंकित आराजी नम्बर 266/49 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा , 266/86 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा खातेदार सोला,गिरधारी,मांगू सूरजमल, गोमा पिता हिरा बंजारा सा. तरजेला का मौका वर्तमान रेकार्ड अनुसार देखा गया वर्तमान रेकार्ड अनुसार प्रार्थी एवं अन्य संयुक्त खातेदारो के नाम आराजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर हि दर्ज किया गया है जो भू प्रबंध से पूर्व अंकित खाते के अनुसार 0.80 कम पाया गया। मौका एवं रेकार्ड देखने पर प्रकट आया कि प्रार्थी एवं संयुक्त खातेदारो की भूमि आ0नं0 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 665 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 639 रकबा 0.47 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.21 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त खातेदारी होना जाहिर आया। आराजी नं0 665 रकबा 0.33 हैक्टेयर है, वर्तमान में मांगू पिता हिरा बंजारा के नाम दर्ज कर दी गई जो उपरोक्त खातेदारो की संयुक्त खातेदारी थी जिसे मांगू पिता हीरा बंजारा ने स्वीकार किया इसी प्रकार आराजी नम्बर 639 रकबा 0.47 हैक्टेयर, संयुक्त खातेदारी थी जो वर्तमान में राजकीय बिलानाम दर्ज है जो गलत है। इस प्रकार मौका एवं रेकार्ड के आधार पर वर्तमान आराजी नं. 666,665,639 रकबा कमशः 0.41, 0.33, 0.47 कुल किता 03 कुल रकवा 1.21 हैक्टेयर खातेदारी दाखी बाई पत्नि सूरजमल1/10, सोला पिता हिरा 1/10,गिरधारी,मांगू,सूरजमल,गोमा पिता हिरा 4/5 बंजारा सा. तरजेला के नाम अंकित किया जाना उचित होगा।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व व भू-प्रबंध अधिकारियों की गलती से वादी की खातेदारी से विलोपित भूमि पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त, रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर न्यायालय वादी के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादी के कथन से सहमत है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के [illegible] वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कि वादी की कब्जे खातेदारी [illegible] आकोला कलां पटवार हल्का आकोला कला के साबिक खाता [illegible] आराजी नं. 266/49 रकबा 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 266/86 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 266/89 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 05 बीघा 13 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 666 रकबा 0.41 हैक्टेयर बनाये गये। सेटलमेंट कार्यवाही में वादी के साबिक रकबे अनुसार कुल 0.80 हैक्टेयर भूमि को विलोपित कर बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया है कि क्षतिपूर्ति आराजी नं0 665 रकबा 0.33 एवं बिलानाम आराजी 639 रकबा 0.47 हैक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि में दाखी बाई पत्नि सूरजमल 1/10, सोला पिता हिरा 1/10, गिरधारी,मांगू,सूरजमल,गोमा पिता हिरा 4/5 बंजारा सा. तरजेला को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमलदारामद किया जावें।

इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:14:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner